भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India

मतदाताओं के लिए

जानकारी सहायता पुस्तिका

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)

भारत निर्वाचन आयोग

आप सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं, यदि आप

- भारत के नागरिक हैं

- मतदाता सूची के पुनरीक्षण के वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष के हो चुके हैं

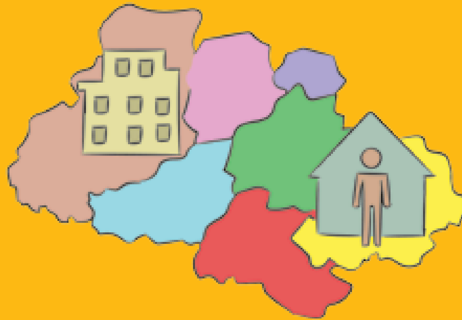

- उस निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं जहां आप पंजीकृत होना चाहते हैं

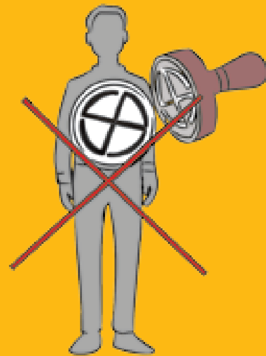

- मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं हैं

मतदाता सूची में कौन पंजीकृत नहीं हो सकता

- जो भारत का नागरिक नहीं है

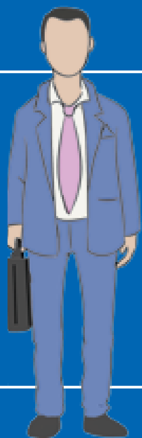

- जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित किया गया हो

- जो भ्रष्ट आचरण और अन्य चुनाव अपराधों के लिए विधि के अंतर्गत मतदान करने के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो

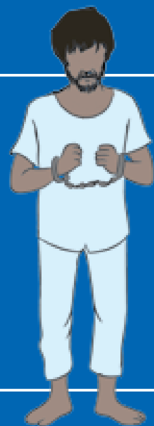

मतदाता सूची में पंजीकरण

अपने निवास के जिले राज्य में अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा भाग के नाम का पता लगाएं

www.nvsp.in पर **फार्म 6** ऑनलाइन भरें। आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियां अपलोड करें

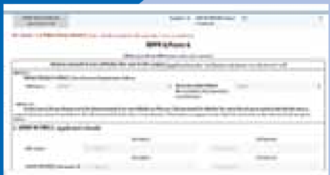

या

आप **www.nvsp.in** से **फार्म 6** डाउनलोड भी कर सकते हैं। **फार्म 6** निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ERO/AERO, बूथ लेवल अधिकारी के कार्यालयों में भी निःशुल्क उपलब्ध है। **फार्म 6** दो प्रतियों में भरें।

आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियों के साथ **फार्म 6** संबंधित ERO/AERO के समक्ष व्यक्तिगत रूप से भरा जा सकता है या आपके मतदान क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी को दिया जा सकता है।

या

डाक द्वारा भेजा जा सकता है

फार्म 6 के साथ दस्तावेज

हाल ही का रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ, **फार्म 6** में चिपकाएं

आयु एवं निवास के प्रमाण के लिए जो दस्तावेज़ दिए जा सकते हैं उनकी सूची **फार्म 6** के साथ दिशा–निर्देशों में दी गई है

आयु एवं निवास के प्रमाण की फोटो प्रतियां

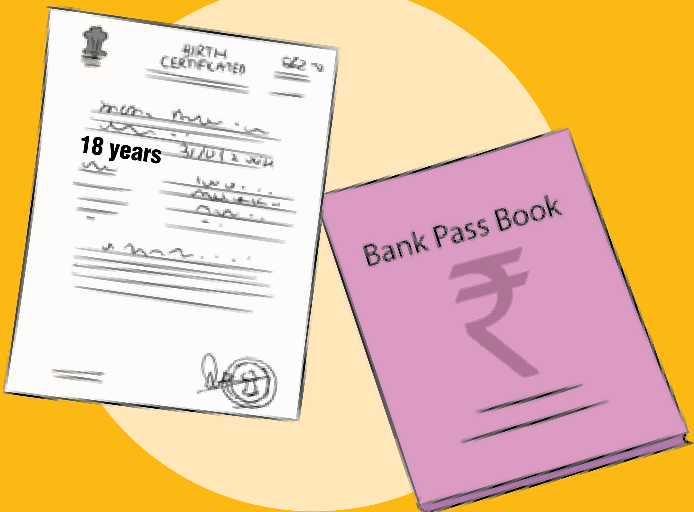

आयु का दस्तावेज़ी प्रमाण केवल उन मामलों में ज़रूरी है जहां आवेदक की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है। अन्य सभी मामलों में, आवेदक द्वारा आयु की घोषणा को प्रमाण माना जाएगा

EPIC – मतदाता फोटो पहचान पत्र

फॉर्म 6 जमा करने के बाद, BLO आपके दस्तावेज़ों की पुष्टि के लिए आपके पते पर आएंगे

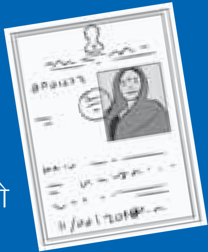

अगर आप का आवेदन सही माना जाता है तो मतदाता फोटो पहचान पत्र - EPIC आपको BLO दे जायेगा या आपको मतदाता केंद्र बुलाया जायेगा जहां आपको EPIC दिया जायेगा

पता बदलने पर क्या किया जाए?

- यदि आपका नया पता उसी निर्वाचन क्षेत्र में है तो **www.nvsp.in** पर ऑनलाइन **फार्म 8A** भरें या फार्म डाउनलोड करें और उस क्षेत्र के ERO/ AERO के पास जमा करें।
- यदि नया पता किसी दूसरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में है तो ऑनलाइन **फार्म 6** भरें या **फार्म 6** डाउनलोड करें और अपने नए निवास स्थान के क्षेत्र के ERO/AERO के पास जमा करें।

पुराने EPIC में पता बदलना आवश्यक नहीं है परन्तु, यदि आप EPIC में पता बदलवाना चाहते हैं तो नए निर्वाचन क्षेत्र के ERO/AERO को आवेदन सहित रु 25/- का भुगतान करें। नए EPIC का नम्बर पुराने EPIC वाला ही होगा।

मतदाता सूची में अपने किसी विवरण में संशोधन या सुधार कैसे करवाएं

मतदाता सूची में अपने किसी विवरण में संशोधन या सुधार के लिए, **फार्म 8** ऑनलाइन भरें या **फार्म 8** डाउनलोड करें और ERO/AERO को प्रस्तुत करें।

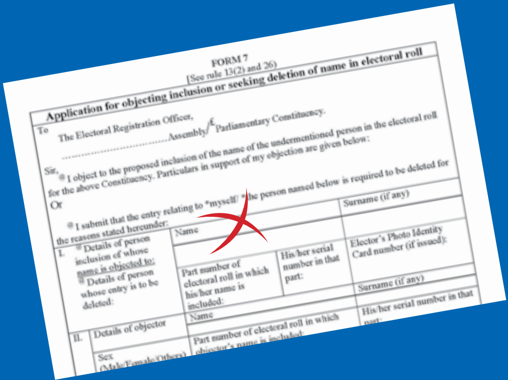
FORM 7
[See rule 13(2) and 26)]
Application for objecting inclusion or seeking deletion of name in electoral roll
To
The Electoral Registration Officer,
..............................Assembly/ Parliamentary Constituency.
Sir,
I object to the proposed inclusion of the name of the undermentioned person in the electoral roll for the above Constituency. Particulars in support of my objection are given below:
Or
I submit that the entry relating to *myself/ *the person named below is required to be deleted for the reasons stated hereunder:
I. Details of person inclusion of whose name is objected to: / Details of person whose entry is to be deleted: — Name — Surname (if any) — Part number of electoral roll in which his/her name is included: — His/her serial number in that part: — Elector's Photo Identity Card number (if issued):
II. Details of objector — Name — Surname (if any) — Part number of electoral roll in which objector's name is included: — His/her serial number in that part: — Sex (Male/Female/Others)

फार्म 7 क्या है?

यह निर्वाचक नामावली में किसी के नाम जोड़ने/हटाये जाने पर आपत्ति करने के लिए आवेदन है। इस फॉर्म को भरने के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है।

निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने/हटाने के लिए आपत्ति होगी यदि:

- व्यक्ति ने अपना आवास बदल लिया है
- जानकार व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है
- अन्य कारणों से पात्र नहीं है

फॉर्म कहाँ जमा करें?

- उस निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक अधिकारी के पास आवेदन जमा करें

  या

- ऑनलाइन जमा करें

फॉर्म कैसे भरें?

- जिस व्यक्ति के नाम हटाये/जोड़े जाने पर आपत्ति है, उसका विवरण दें
- अपना विवरण भरें
- अपना पूरा पता भरें
- नाम हटाये जाने/आपत्ति के कारण दें
- घोषणा भरें कि दी गयी जानकारी सही है

अपना बहुमूल्य मत कैसे डालें?

मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करें; याद रखें कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में न हो तो आप वोट नहीं कर सकते।

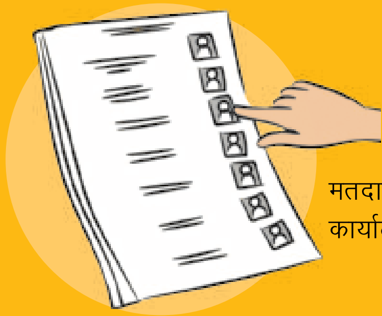

मतदाता सूची ERO के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

मतदान केन्द्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या किसी अन्य उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है।

चुनाव के दिन छुट्टी दी जाती है ताकि प्रत्येक मतदाता अपना वोट डाल सके।

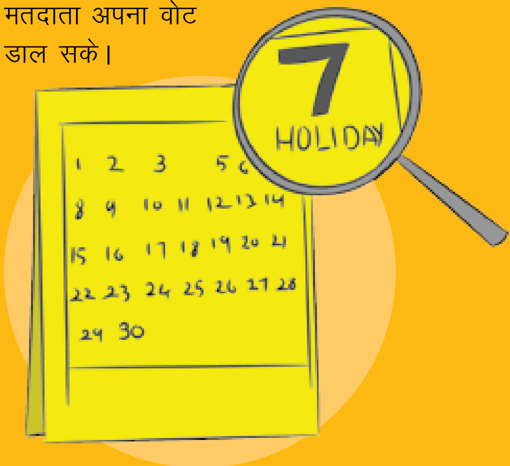

कतार में खड़े हों, अपना पहचान दस्तावेज़ और मतदाता पर्ची तैयार रखें।

प्रथम चुनाव अधिकारी आपका नाम मतदाता सूची में देखेगा और आपका पहचान पत्र देखेगा।

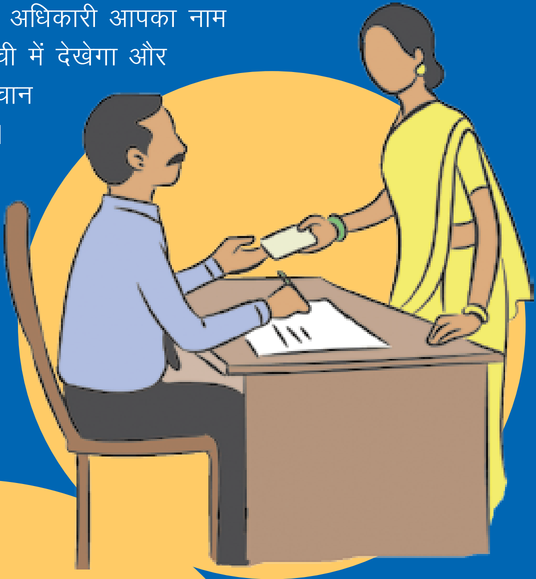

दूसरा चुनाव अधिकारी आपकी अंगुली पर स्याही लगाएगा, आपको एक पर्ची देगा और रजिस्टर में आपके हस्ताक्षर लेगा।

आपको यह पर्ची तीसरे चुनाव अधिकारी के पास जमा करवानी होगी और स्याही लगी हुई अपनी अंगुली दिखानी होगी और फिर मतदान बूथ की ओर बढ़ना होगा।

वोट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिह्न के सामने बटन दबाएं आपको एक बीप आवाज सुनाई देगी।

यदि आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप ईवीएम में अंतिम बटन नोटा (इनमें से कोई नहीं), दबा सकते हैं।

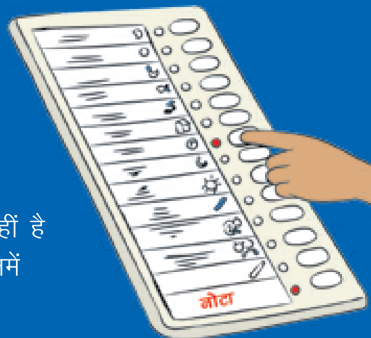

याद रखें:

मतदाता सूची पर अपना नाम जांचें – मतदान के लिए वोटर आई डी होना ही पर्याप्त नहीं है – यह जरूरी है की मतदाता सूची में आपका नाम हो। चुनाव से पहले अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर मतदाता सूची पर अपना नाम जांचें।

हेल्पलाइन – चुनाव के दौरान नामांकन और मतदान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए **1950** पर कॉल करें।

न जाति पे, न धर्म पे, बटन दबेगा कर्म पे

किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं किया जा सकता – नई निवास की मतदाता सूची पर पंजीकरण के समय पुराने निवास के मतदाता सूची से अपना नाम हटवाएं।

वोट हमारा है अनमोल, कभी न लेंगे इसका मोल

सबकी सुनें सभी को जानें, निर्णय अपने मन का मानें

पैसा, शराब या अन्य प्रलोभन का वितरण एक अपराध है। देने और लेने वालों को जुर्माना या सजा हो सकती है।

www.eci.nic.in या **www.nvsp.in** पर अपने विधानसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी का नाम और **www.ecisveep.nic.in** से निर्वाचन सम्बन्धी अन्य जानकारी पाएं।

इसलिए आज ही पंजीकरण कराएं ताकि आप अगले चुनावों में मतदान कर सकें!

দৃঢ়তৰ গণতন্ত্ৰৰ বাবে বৃহত্তৰ অংশগ্ৰহণ

গোখ্রৌ সুবুং খুংথায়নি থাখায় গোবাং বাহাগো লানায়

ശക്തമായ ജനാധിപത്യത്തിന്
വർദ്ധിച്ച ജനപങ്കാളിത്തം

ସୁଦୃଢ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ

बळीश्ट लोकशायेखातीर चडांत चड वांटेकार जायात

મજબૂત લોકશાહી - સૌની ભાગીદારી

मजबूत प्रजातन्त्रका लागी ब्यापक सहभागिता

مضبوط جمہوریت سب کی شرکت

मजगुत लोकतंत्र मे सभक सहभागिता

केटेच राज आरी लगित सेन-रा भाग हटाउ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ - ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

దృఢమైన ప్రజాస్వామ్యానికి ఎక్కువ భాగస్వామ్యం

Greater Participation for a Stronger Democracy

मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी

வலுவான ஜனநாயகத்திற்கு பெருமளவில் பங்கேற்றல்

শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য অধিকতর অংশগ্রহণ

मज़बूत लोकशाहीअ लाइ् आला हिस्सेदारी

ಸುಭದ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ.

زیادہ شمولیت مضبوط جمہوریت

મજબૂત લોકશાહી - સૌની ભાગીદારી

মেপা মশাঙ্গল কনবা লনতম্ব শীয়ামনা অহেন্না শারুক যাবা

Mipui Sawrkar chak chak zawk siam turin mipuite i tel theuh ang u

1950 में स्थापित, **भारत निर्वाचन आयोग** राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति के पदों संसद तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों की संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग राजनैतिक दलों का पंजीकरण करता है, निर्वाचक नामावली बनाता एवं समय–समय पर उसका अध्यतन करता है, और प्रत्याशियों के नामांकन एवं चुनाव प्रचार की निगरानी करता है। इसके साथ–साथ स्वीप कार्यक्रम के जरिये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या की जागरूक और सक्रिय चुनाव सहभागिता भी सुनिश्चित करता है।

भारत का संविधान लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा, आर्थिक सामाजिक स्थिति और अवस्थिति के भेदभाव के बिना प्रत्येक योग्य नागरिक को वोट का अधिकार देता है और हर एक वोट बराबर मायने रखता है। अतः, सभी नागरिकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लें और मताधिकार का प्रयोग करके अन्य अधिकारों को सुनिश्चित करें।

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (SVEEP) कार्यक्रम निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को शिक्षित करने के साथ–साथ इस प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ाता है। स्वीप निम्नलिखित तीन नीतियों पर आधारित हैः

सूचनाः पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया के संबंध में "क्या" "कब" "कहां" और "कैसे" के बारे में सूचना देना।

प्रेरणाः लोगों में प्रेरणा की कमी को दूर करना और "क्यों" संबंधी जिज्ञासा का जवाब देना।

सुविधाः निर्वाचक सहभागिता को सरल, सुविधाजनक और अनुकूल बनाना।

संपर्क करेंः

आप **www.eci.nic.in** पर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं व अन्य सूचनाएं और अपडेट्स भी प्राप्त कर सकते हैं जिनकी आपको जरूरत है। राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल **www.nvsp.in** पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा अतिरिक्त कई अन्य सेवाएं उपलब्ध हैं। आप **www.ecisveep.nic.in** पर ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और विशिष्ट पुरस्कार जीत सकते हैं।

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली–110001
दूरभाषः 011-23717391-98 Ext. 283, 314, 436